कार्यालय,आय कर निदेशक (छूट)

छठी मंजिल,पीरामल चैम्बर्स,लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या :आ.नि.(छू)/मु.न./८०-जी/1598/2007/2008-09

निर्धारिती का नाम और पता	:	DIGNITY FOUNDATION BMC School Bldg., Topiwala Lane, Opp. Lamington Road, Police Station, Grant Road (E), Mumbai 400 007.
12A रजिस्ट्रेशन सं.	:	**TR/33207 dated 21/01/1998**
आवेदन की तारीख	:	**16/01/2008**
स्था.ले.सं	:	**AAA TD 1358 A**
आदेश की तारीख	:	**05/05/2008**

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)

(प्रारंभिक /नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन /आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५)के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी श अवज्ञा दुरूपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5)(iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.

ii) दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपवाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.

iii) न्यास /संस्था के विलेख (deed)में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.

iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए),धारा १२एए(१)(बी)के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३),१०(२३सी)-(vi)(vi-ए) के अंतर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५)(i)(ए)के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.

v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा

vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरूपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.

vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की
कोशिश की जाएगी.

viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा.

ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाभ--कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए औरबताए गए देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहाँ किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.

x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.

xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा.आयकर अधिनियम १९६१.की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

आयकर निदेशक (छूट) की मुहर / Seal of the Director of Income Tax (Exemp) Mumbai / मुंबई

— ह० —

(आर. के. सिन्हा)

आयकर निदेशक (छूट),मुंबई.

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २).गार्ड फाईल

Digest of CBDT Notifications, Circulars & Instructions

CIRCULAR

INCOME-TAX ACT

Section 10(23C)(iv) of the Income-tax Act, 1961 - Exemptions - Charitable or religious trusts/institutions - Clarification regarding period of validity of approvals issued under section 10(23C)(iv), (v), (vi) or (via) and section 80G(5) of the Income-tax Act

CIRCULAR NO. 7/2010 [F. NO. 197/21/2010-ITA-I], DATED 27-10-2010

The Board has received various references from the field formations as well as members of public about the period of validity of approvals granted by the Chief Commissioners of Income-tax or Directors General of Income-tax under sub-clauses (*iv*), (*v*), (*vi*) and (*via*) of section 10(*23C*) and by the Commissioners of Income-tax or Directors of Income-tax under section 80G(5) of the Income-tax Act, 1961.

2. It has also been noticed by the Board that different field authorities are interpreting the provisions relating to the period of validity of the above approvals in a different manner. The following instructions are accordingly issued for the removal of doubts about the period of validity of various approvals referred to above.

5. As regards approvals granted upto 1-10-2009 under section 80G by the Commissioners of Income-tax/Directors of Income-tax, proviso to section 80G(5)(*vi*) clarified that any approval shall have effect for such assessment year or years not exceeding five assessment years as may be specified in the approval. The above proviso was deleted by the Finance (No. 2) Act, 2009. The intent behind the deletion of above proviso as explained in the explanatory memorandum to Finance (No. 2) Bill, 2009 was as under :

> "Further as per clause (*vi*) of sub-section (5) of section 80G of the Income-tax Act, 1961, the institutions or funds to which the donations are made have to be approved by the Commissioner of Income-tax in accordance with the rules prescribed in rule 11AA of the Income-tax Rules, 1962. The proviso to this clause provides that any approval granted under this clause shall have effect for such assessment year or years, not exceeding five assessment years, as may be specified in the approval.
>
> Due to this limitation imposed on the validity of such approvals, the approved institutions or funds have to bear the hardship of getting their approvals renewed from time to time. This is unduly burdensome for the *bona fide* institutions or funds and also leads to wastage of time and resources of the tax administration in renewing such approvals in a routine manner.
>
> Therefore, it is proposed to omit the proviso to clause (*vi*) of sub-section (5) of section 80G to provide that the approval once granted shall continue to be valid in perpetuity. Further, the Commissioner will also have the power of withdraw the approval if the Commissioner is satisfied that the activities of such institution or fund are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the institution or fund. This amendment will take effect from 1st day of October, 2009. Accordingly, existing approvals expiring on or after 1st October, 2009 shall be deemed to have been extended in perpetuity unless specifically withdrawn."

It appears that some doubts still prevail about the period of validity of approval under section 80G subsequent to 1-10-2009, specially in view of the fact that no corresponding change has been made in Rule 11A(4). To remove any doubts in this regard, it is reiterated that any approval under section 80G(5) on or after 1-10-2009 would be a one time approval which would be valid till it is withdrawn.